वेबजिस 2.0 सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियां दूर की जाएं

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । सरकार द्वारा पटवारियों के लिए बनाए गए वेबजिस 2.0 की तकनीकी खामियों को लेकर मप्र पटवारी संघ की जिला इकाई की ओर से

मप्र पटवारी संघ ने कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन

शुक्रवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में सॉफ्टवेयर की खामियों को दूर किए जाने की मांग की गई है।

पटवारी संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में पांच पेज की पीडीएफ फाईल का साइज बढ़ा होने के कारण अपलोड नहीं हो पा रहे है। जिसके लिए 2 एमबी साइज की बाध्यता को खत्म किया जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया गया है कि सायबर तहसील से प्राप्त होने वाले राजस्व प्रकरणों में संबंधित पटवारी की वेबजिस आईडी पर आदेश होने पर प्रकरण स्वत: अमल हो जाते है। पटवारी इससे अनभिज्ञ रहते है। जबकि आदेश की प्रति हल्का पटवारी की आईडी पर प्रदर्शित होना चाहिए। पटवारी संघ ने वेबजिस 2.0 सॉफ्टवेयर में यूजर फीडबैक सुविधा दिए जाने, बिना बंटवारा बटांकन के व्यपवर्तन न किए जाने की मांगें की गई है। पटवारी संघ ने कहा है कि इससे पहले भी इस सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थीं। इन त्रुटियों का समाधान न करते हुए फिर से नया सॉफ्टवेयर बना दिया। सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन वेबजिस सॉफ्टवेयर में यूजर पटवारी की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए उसे लॉन्च कर दिया गया है। ज्ञापन में सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवहारिक संशोधन किए जाने की मांग पटवारी संघ ने की है। ज्ञापन सौंपने वालों में तहसील मुरैना अध्यक्ष सुरेन्द्र राठौर, पवन डण्डौतिया, सौरभ शर्मा, अरविंद शर्मा, कौशलेन्द्र गुर्जर, देवेन्द्र राजपूत, संदीप शर्मा, विक्रम यादव, सुनील जाटव, नितेश शर्मा आदि शामिल थे।

एक्सीडेंट में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने के बाद जिला अस्पताल लाए गए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच

जौरा क्षेत्र में गुरूवार की शाम को हुआ था हादसा

शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार जौरा क्षेत्र के ग्राम बेरियन का पुरा निवासी परशुराम कुशवाह (50) पुत्र जसवंत कुशवाह गुरूवार की दोपहर खरीददारी करने के लिए

जौरा कस्बा आया हुआ था। सामान खरीदने के बाद परशुराम पैदल ही घर जा रहा था। इसी दौरान अलापुर नहर के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वो जख्मी हो गया।

उसे गंभीर हालत में जौरा सिविल हॉस्पीटल से मुरैना रैफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान परशुराम ने दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

युवकों से कट्टे की नोंक पर नकदी-अंगूठी लूटे

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । घास लेने जा रहे एक विकलांग युवक सहित दो लोगों से हथियारबंद बदमाश कट्टे की नोंक पर पांच हजार रूपये नकदी समेत सोने की अंगूठी

अंबाह बायपास रोड पर लालौर फाटक के पास हुई घटना

लूटकर ले गए। घटना अंबाह बायपास रोड पर लालौर रेलवे क्रॉसिंग के पास होना बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार शहर की राठौर कॉलोनी में रहने वाला विकलांग महावीर यादव 28 पुत्र विशंभर सिंह यादव शुक्रवार को राहुल राठौर 20 पुत्र सीताराम राठौर के साथ घास काटने के लिए लालौर गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लालौर रेलवे क्रॉसिंग के पास दो बाइकों पर सवार होकर आए रवि गुर्जर, राजा गुर्जर, लोकेन्द्र सहित पांच बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और कट्टा अड़ाकर महावीर यादव से नकदी 4900 रूपये और राहुल से सोने की अंगूठी लूटकर ले गए। पीड़ित युवकों ने पुलिस को घटना से अवगत करा दिया है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

महिला से गाली-गलौज कर फेंके पत्थर, केस दर्ज

मुरैना, 8 अगस्त । स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तमपुरा निवासी गुड्डीदेवी 55 पत्नी रोशनलाल जाटव का 7 अगस्त को राहुल, प्रमोद, बारेलाल जाटव सहित दो अज्ञात लोगों से विवाद हो गया। जिसे लेकर राहुल वगैरह ने गुड्डीदेवी को गालियां दीं और पत्थर फेंककर मारे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।

अंबाह-जौरा में मिठाई की 9 दुकानों पर कार्रवाई, लिए नमूने

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई कर

फूड सेफ्टी विभाग की टीम की त्यौहार के मद्देनजर कार्रवाई

रही है। शुक्रवार को टीमों ने कस्आ अंबाह और जौरा में मिठाई की 9 दुकानों पर कार्रवाई कर भिन्न-भिन्न प्रकार की मिठाईयों के सैंपल लिए।

एफएसओ गिरीश राजौरिया ने अपनी टीम के साथ शुक्रवार को

कस्बा अंबाह में मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की। उनके द्वारा कस्बे में जोधपुर मिष्ठान्न भंडार से मावा बरफी, मलाई बरफी के सैंपल लिए गए। इसी क्रम में न्यू गोयल स्वीट्स से सोन पपड़ी, मुकेश मिष्ठान्न भंडार से मावा और जय महाकाल स्वीट्स से बेसन के लड्डू के सैंपल लिए गए है। जौरा में एफएसओ अनिल प्रताप सिंह परिहार, महेन्द्र सिरोहिया की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने संजू पाल मिष्ठान्न भंडार दुर्गापुरी के गोदाम से बेसन, बूंदी के लड्डू के नमूने लिए। इसी प्रकार राधाकृष्णा मिष्ठान्न भंडार से मावा बरफी, सोन पपड़ी, राधेश्याम मिष्ठान्न भंडार से पनीर, बेसन के लड्डू के सैंपल लिए गए। टीम ने चौथी कार्रवाई मोर मुकुट मिष्ठान्न भंडार से बेसन के लड्डू और गिर्राज मिष्ठान्न भंडार से सोन पपड़ी का नमूना लिया गया। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

रेत के अवैध उत्खनन के मामले में दोषी को 1 वर्ष सश्रम कारावास

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । चंबल नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने के बाद ट्रेक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किए जाने के

7 हजार रूपये अर्थदण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना का फैसला

मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना अमित प्रताप सिंह ने एक दोषी को 1 वर्ष सश्रम कारावास और 7 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 9 अप्रैल 2015 को वनविभाग की टीम ने टास्क फोर्स और पुलिस बल के साथ मिलकर गड़ौरा से रिठौराखुर्द की ओर जा रहे चंबल की रेत से भरे नीले रंग के स्वराज ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। हालांकि ट्रेक्टर चालक ट्रॉली को पलटाने के बाद मौके से भाग निकला था। ट्रेक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। वनविभाग ने बनवारी पुत्र गादीपाल सिंह नि. ग्राम गढ़ौरा, नायकपुरा के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 25, 27, 21, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 52 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर अभियुक्त बनवारी को दोषी माना और 1 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 7 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है।

गाली-गलौज कर युवक से मारपीट, मामला दर्ज

मुरैना, 8 अगस्त । सिटी कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त को नवीन प्राईवेट बस स्टैंड पर सोनू पुत्र नाथू सिंह राजावत नि. श्यामपुरकलां अंबाह की अन्नू तोमर सहित दो अज्ञात लोगों ने गालियां देते हुए मारपीट की और धमकी भी दी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

बागचीनी-चिन्नौनी में मारपीट के दो मामले दर्ज : मुरैना । बागचीनी पुलिस ने योगेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र जाटव नि. चचिहा की रिपोर्ट पर सौरभ, गौरव, सतीश जादौन के विरुद्ध मारपीट किए जाने की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने रामलखन पुत्र रतीराम धाकड़ नि. आसनपुर की शिकायत पर सतीश, धर्मेन्द्र धाकड़ के विरुद्ध मारपीट, धमकी दिए जाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

स्टूडेंट ने अपने नाम से रोपे पौधे, देखभाल का लिया संकल्प

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । समाजसेवी संस्था पहल परिवार के तत्वावधान में शुक्रवार को शहर के फाटक बाहर क्षेत्र स्थित शासकीय जीडी

पहल परिवार के तत्वावधान में जीडी जैन स्कूल में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम

जैन स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों सहित स्कूल के विद्यार्थियों ने भी पौधरोपण किया। खास बात यह रही कि विद्यार्थियों ने अपने नाम से पौधे

रोपे और उनकी देखभाल किए जाने का संकल्प भी लिया।

कार्यक्रम में जिला शिक्षाधिकारी एसके सक्सैना मुख्य रूप से उपस्थित थे। पहल परिवार की ओर से रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए बच्चों की मदद से ट्री-गार्ड लगाए गए। बच्चों ने अपने नाम से पौधे रोपे और पौधों के बड़े होने तक उनकी देखभाल किए जाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर पहल परिवार के अध्यक्ष डॉ. विवेक राठी ने कहा कि मैने भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने बच्चों को प्रकृति और मानव जीवन में पेड़-पौधों के महत्व से अवगत कराया और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर पौधारोपण किए जाने की बात कही। इस मौके पर पहल परिवार की ओर से तीजेन्द्र खेड़ा, नीरज मोदी, रवि गुप्ता, समाजसेवी हेमा अग्रवाल, राजेश बांदिल, दीपक उपाध्याय, प्रिंस गोयल, प्राचार्य वाईएस जादौन, मधु तोमर सहित बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

एक नजर में

आई पी एस राज कृष्णा ने एस डी ओ पी का चार्ज संभाला

सबलगढ़, 8 अगस्त । सबलगढ़ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर अभी हाल ही में आई पी एस राज कृष्णा प्रशि को राज्य शासन द्वारा सबलगढ़ तहसील में पदस्थ किया गया था आज आई पी एस राज कृष्णा ने सबलगढ़ अपने कार्यालय में पहुंचकर एस डी ओ पी का चार्ज संभाल लिया है विदित है कि एस डी ओ पी बी पी तिवारी अभी हाल ही में 31जुलाई को सेवा निवृति हुए हैं। एस डी ओ पी राज कृष्णा ने अपना पद भार ग्रहण कर अधीनस्थ कर्मचारियों से उनका परिचय लिया इसके बाद सबलगढ़ पुलिस थाने का निरीक्षण कर अधिकारियों ओर पुलिस कर्मचारियों से भी मुलाकात की।

एकलव्य अवार्डी गौरव का ब्रह्मकुमारी केन्द्र पर हुआ सम्मान

मुरैना । एकलव्य अवार्ड प्राप्त कर मुरैना जिले को पूरे देश में गौरवान्वित करने वाले गौरव पचौरी का शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुड़ियाखेड़ा स्थित सेवा केन्द्र पर सम्मान किया गया। सेवा केन्द्र पर ब्रह्मकुमारी कृष्णा दीदी और निकेता दीदी ने गौरव पचौरी को शॉल ओढ़ाया और ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर पावर लिफ्टिंगक खेल संघ मुरैना के सचिव अरुण शर्मा का भी सम्मान किया गया।

मैरिज गार्डन के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, केस दर्ज

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 8 अगस्त । गुरूवार की रात को कस्बा जौरा में रूनीपुर रोड स्थित जय गुरूदेव मैरिज गार्डन के बाहर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। जिससे गार्डन संचालक सहित आसपास रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार कस्बा जौरा की रूनीपुर रोड पर मुंशीलाल, सुनील कुमार शाक्य का जय गुरूदेव मैरिज गार्डन स्थित है। गुरूवार की रात करीब 9 बजे बाइकों पर सवार होकर बदमाश गार्डन के सामने पहुंचें और अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ कई राउण्ड हवाई फायरिंग कर डाली। फायरिंग करने के बाद बदमाश भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर गार्डन संचालक सहित आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचीं और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध फायरिंग किए जाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

कैलादेवी एग्रो ट्रेडर्स मृगपुरा तत्काल प्रभाव से निलंबित

मुरैना, 8 अगस्त । कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुरैना द्वारा 25 जुलाई को ग्राम मृगपुरा पहुंचकर मैसर्स कैलादेवी एग्रो ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां पायी गई। उन्हें फोन पर भी उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया परउन्होंने कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया। उसी दिन सायं 7:44 बजे संयुक्त दल ने पुन: परीक्षण किया, पंचायत सचिव एवं अन्य सदस्यों के साथ सामुदायिक भवन को खुलवाया गया, जिसमें 102 बैग यूरिया निर्माता कंपनी चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल लिमिटेड का अवैध भंडारण पाया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन है। आदेश की धारा 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म मैसर्स कैलादेवी एग्रो ट्रेडर्स मृगपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

घर में सो रहे वृद्ध को सांप ने काटा, अस्पताल में मौत

नवभारत न्यूज
मुरैना, 8 अगस्त । बागचीनी थाना क्षेत्र के ग्राम चिन्नौनी करैरा में गुरूवार की रात को घर में सो रहे एक वृद्ध को जहरीले सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में उसे जिला

चिन्नौनी करैरा गांव में हुई घटना पुलिस ने किया मर्ग कायम

अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के अनुसार चिन्नौनी करैरा गांव में रहने वाला कल्पा जाटव 65 पुत्र रामदयाल जाटव

गुरूवार की रात को अपने घर में सो रहा था। देर रात को एक जहरीला सांप घर में घुस आया और सोते समय वृद्ध कल्पा जाटव को काट लिया।

कल्पा के चिल्लाने पर परिवारीजन मौके पर पहुंचें और वृद्ध कल्पा को तत्काल जौरा स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया। मुरैना जिला अस्पताल में उपचार के दौरान वृद्ध कल्पा जाटव की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मर्ग कायम कर लिया है।

रास्ता रोककर बुजुर्ग की मारपीट, मामला दर्ज

मुरैना, 8 अगस्त । महुआ थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को अंबाह-पिनाहट रोड पर मुन्ना उर्फ मदनमोहन शर्मा 61 पुत्र मेवाराम शर्मा की अरविंद, राघवेन्द्र, रामू, श्यामू तोमर नि. फूलसहाय का पुरा ने रास्ता रोककर गालियां देते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।

बीज अमानक मिलने पर 10 फर्मों के लाईसेंस निलंबित

मुरैना, 8 अगस्त । कृषकों को उत्तम क्वालिटी को बीज प्राप्त हो। इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि के नेतृत्व में जिले की खाद, बीज दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर नमूने लेने के निर्देश दिये गये थे।

निर्देशों के तहत अलग-अलग विकासखण्डों में खण्ड स्तर के अधिकारियों ने सेम्पलिंग की कार्यवाही की। उन्हें लैब भेजा गया, जिनमें से 10 फर्मो के बीज अमानक पाये गये। उप संचालक कृषि अनंत सड़ैया ने 10 फर्मो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिनमें सबलगढ़ विकासखण्ड के झुण्डपुरा की मैसर्स नैतिक बीज भंडार, खार नाले के पास मैसर्स रावत कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स खेती बीज भंडार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये है। इसी प्रकार कैलारस विकासखण्ड की मैसर्स बालाजी कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स न्यू क्रिश बीज भंडार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये है। जौरा विकासखण्ड के मैसर्स न्यू मां गायत्री बीज भंडार, मैसर्स उन्नत कृषि सेवा केन्द्र जौरा, मुरैना विकासखण्ड की बानमौर में मैसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र, अम्बाह विकासखण्ड की न्यू सावरिया कृषि सेवा केन्द्र और मैसर्स बालाजी बीज भंडार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आम सूचना

श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री करतार सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित फेरन कुशवाह वाली गली, बनखंडी रोड, गोपालपुरा, ग्राम जौराखुर्द, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.40 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.916/2 ग्राम जौराखुर्द का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रामाख्यार सिंह पुत्र श्री राम सिंह एवं अन्य द्वारा श्रीमती राजाबेटी पत्नी श्री जदवीर सिंह एवं श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री करतार सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.158 दिनांक 26.06.2013 से विक्रय की गई। श्रीमती राजाबेटी एवं श्रीमती सुधा देवी के मध्य ई-रजिस्टर्ड विभाजन विलेख क्र.एमपी25792023ए11871690 दिनांक 23.05.2023 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 26.06.2013 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती सुधा देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, बैंक अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 26.06.2013 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 5 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फेडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती नीतू खटीक पत्नी श्री संतोष खटीक के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित मौहल्ला बेनीपुरा, तहसील सबलगढ़ व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका सबलगढ़ वार्ड क्र.11 (गाईडलाईन अनुसार वार्ड क्र.12) में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 629 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री संतोष भिलवार पुत्र श्री मांगीलाल खटीक के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री संतोष भिलवार द्वारा उक्त सम्पत्ति का एक भाग 222 वर्गफुट एरिया श्रीमती नीतू खटीक पत्नी श्री संतोष खटीक को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी21आईजीआर 17932025ए100271974 दिनांक 05.05.2025 से विक्रय की गई। श्री संतोष भिलवार द्वारा उक्त सम्पत्ति का दूसरा भाग 407 वर्गफुट एरिया श्रीमती नीतू खटीक पत्नी श्री संतोष खटीक को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी21आईजीआर 17932025 ए1000903570 दिनांक 14.07.2025 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष 2025 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्रीमती नीतू खटीक द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा वर्ष 2025 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फेडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

अतिक्रमणकारियों को नोटिस की वजह से नहीं हट सका अतिक्रमण

सबलगढ़, 8 अगस्त । अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी नहीं होंने से मदाखलत अमला वापस लौट आया। सुनहरा

तसीलदार, लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका का मदाखलत अमला वापस लौटा

हेड से लेकर श्रीराम मंदिर चौराहे तक वर्तमान में सीसी सड़क डाली जा रही है।

सड़क डालने से पूर्व ही नगर पालिका को इस सड़क के दोनों ओर से स्थानीय निवासियों के अतिक्रमण हटाना था तभी सड़क पूरी डाली जानी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही और नगर पालिका की अतिक्रमण हटाने के नोटिस देने की कार्रवाई न करने के कारण आज भी मदाखलत दस्ता अतिक्रमण नहीं हटा पाया।

वह तय मानक से करीब आधी ही डाली जा रही है। मंगलवार को

शाम 04:00 बजे मदाखलत अमला में तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी एसडीओ एवं पुलिस सुनहरा रोड पर करीब 14.4 मीटर चौड़ी सड़क डालना चाहता है जिसका एस्टीमेट के अनुसार 7 मीटर चौड़ी सड़क सड़क के दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़े शोल्डर और उसके बाद 1.8 मी का दोनों जल और निकासी के लिए नाला बनाया जाना है स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण यह सड़क काफी सकरी डाली जा रही है इतना ही नहीं पूर्व से बनी सड़क को खोदा भी नहीं गया है। अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका ने जारी नहीं किया नोटिस। मदाखलत अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा सुनहरा।

तहसीलदार आशीष अशवाल ने नोटिस देने का वारे में सीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा नोटिस अभीनहीं दिए गए। जिसके कारण मदाखलत अमला वापस लौट आया। सीएमओ ने कहा नोटिस तैयार हो रहे हैं जल्दी से नीचे सिग्नेचर कर में भिजवा रहा हूं। विभाग के एसडीओ अभिनीत श्रीवास्तव कहना कि पिछले 6 माह से पदस्थ सीएमओ को कई बार फोन एवं पत्र व्यवहार किया है अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका ने नोटिस जारी करने थे लेकिन नोटिस जारी नहीं किए जाने के कारण आज मजाक पहुंचा लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा पाया।